

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 197]

भोपाल, शनिवार, दिनांक 23 मई 2015—ज्येष्ठ 2, शक 1937

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 23 मई 2015

क्र. एफ-16-07-2012-एक-4.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश आयुक्त कार्यालय, मध्यप्रदेश शासन, नई दिल्ली (राजपत्रित) सेवा भरती नियम, 2000 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त नियमों में,—

(1) अनुसूची-एक में, अनुक्रमांक 10, 11, 12, 13, और 14 तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं, अर्थात् :—

अनुक्रमांक	सेवा में सम्मिलित पदों के नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान (वेतन बैण्ड + ग्रेड वेतन)	अभ्युक्तियां
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
10	प्रोटोकॉल अधिकारी	1	द्वितीय-श्रेणी	15600—39100 + 5400	-
11	उप संचालक (वित्त)	1	द्वितीय-श्रेणी	15600—39100 + 5400	वित्त विभाग से स्थानान्तरण पर.
12	प्रशासकीय अधिकारी	1	द्वितीय-श्रेणी	15600—39100 + 5400	-
13	हाउस मैनेजर	2	द्वितीय-श्रेणी	15600—39100 + 5400	-
14	अनुभाग अधिकारी	2	द्वितीय-श्रेणी	9300—34800 + 4200	-
15	सहायक हाउस मैनेजर	1	द्वितीय-श्रेणी	9300—34800 + 4200	-

(2) अनुसूची-दो में अनुक्रमांक में 12, 13 और 14 तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं, अर्थात् :-

अनुक्रमांक	पदों के नाम	पदों की संख्या	भरे जाने वाले पदों की संख्या की प्रतिशतता		
			सीधी भर्ती द्वारा [नियम 6 (1) (क) देखिए]	सेवा में सदस्यों की पदोन्नति द्वारा [नियम 6(1) (ख) देखिए]	अन्य सेवा में अस्थायी स्थानांतरण द्वारा [नियम 6 (1) (ग) देखिए]
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
12	प्रशासकीय अधिकारी	1	-	100 प्रतिशत	-
13	हाउस मैनेजर	2	50 प्रतिशत	50 प्रतिशत	-
14	अनुभाग अधिकारी	2	-	100 प्रतिशत	-
15	सहायक मैनेजर	1	-	100 प्रतिशत	-

(3) अनुसूची-तीन में, अनुक्रमांक 2 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाए.

(4) अनुसूची-चार में, अनुक्रमांक 3, 4 और 5 तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं, अर्थात् :-

अनुक्रमांक	उस पद का नाम जिससे पदोन्नति की जाएगी	उस पद का नाम जिस पर पदोन्नति की जाएगी	पदोन्नति के लिए न्यूनतम सेवा की काल अवधि	विभागीय पदोन्नति समिति के सदस्यों के नाम	पदोन्नति की प्रक्रिया	अभ्युक्तियां
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
3	प्रोटोकॉल अधिकारी/ हाउस मैनेजर.	उप आवासीय आयुक्त	5 वर्ष	1. अध्यक्ष लोक सेवा आयोग या उनके निमित लोक सेवा आयोग का कोई नामनिर्दिष्ट सदस्य —अध्यक्ष 2. अपर मुख्य सचिव / प्रमुख सचिव सामान्य प्रशासन विभाग —सदस्य 3. आवासीय आयुक्त, म. प्र. शासन, नई दिल्ली —सदस्य 4. अपर सचिव/उप सचिव, म.प्र. सा.प्र. विभाग —सदस्य	-	-
4	अनुभाग अधिकारी.	प्रशासकीय अधिकारी.	5 वर्ष	-तदैव-	-	-
5	सहायक शिष्टाचार अधिकारी.	शिष्टाचार अधिकारी.	5 वर्ष	-तदैव-	-	-

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. के. गजभिये, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 23 मई 2015

क्र. एफ 16-07-2012-एक-4.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 16-07-2012-एक-4, दिनांक 23 मई 2015 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. के. गजभिये, उपसचिव.

Bhopal the 23rd May 2015

No. 16-07-2012-One-4.—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Madhya Pradesh, hereby; makes the following further amendments in the Madhya Pradesh Office of the Resident Commissioner, Government of Madhya Pradesh at New Delhi (Gazetted) Service Recruitment Rule, 2000, namely:—

AMENDMENTS

In the said rules,—

(1) In SCHEDULE-I, for serial numbers 10, 11, 12, 13 and 14 entries relating thereto, the following serial numbers and entries relating thereto shall be substituted, namely:—

S. No.	Name of Posts included in the Service	No. of Posts	Classification	Pay Scale (Pay Band + Grade Pay)	Remarks
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
10	Protocol Officer	1	Class Two	15600-39100+5400	-
11	Deputy Director (Finance)	1	Class Two	15600-39100+5400	By Transfer from Finance Department
12	Administrative Officer	1	Class Two	15600-39100+5400	-
13	House Manager	2	Class Two	15600-39100+5400	-
14	Section Officer	2	Class Two	9300-34800+4200	-
15	Assistant House Manager	1	Class Two	9300-34800+4200	-

(2) in Schedule-II, for serial numbers 12, 13, and 14 and entries relating thereto, the following serial numbers and entries relating thereto shall be substituted, namely :—

S. No.	Name of Posts	No. of Posts	Percentage of number of posts to be filled in		
			By direct recruitment vide rule [6 (1) (a)]	By promotion of members of service vide rule [6 (1) (b)]	By temporary transfer from other service vide rule [6 (1) (C)]
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
12.	Administrative Officer	1	-	100%	-
13.	House Manager	2	50%	50%	-
14.	Section Officer	2	-	100%	-
15.	Assistant House Manager	1	-	100%	-

- (3) In Schedule-III, serial number 2 and entries relating thereto shall be omitted.
- (4) In Schedule-IV, for serial number 3, 4 and 5 and entries relating thereto, the following serial numbers and entries relating thereto shall be substituted, namely:—

S. No.	Name of the posts from which promotion would be given	Name of post on which promotion would be given	Minimum service period for Promotion	Name of the Departmental Promotion committee	Procedure of Promotion	Remarks
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
“3.	Protocol Officer/ House Manager.	Deputy Resident Commissioner.	5 Years	1. Chairman, public Service Commission or on his behalf nominated member of Public Service Commission— Chairman 2. Additional Chief Secretary/ Principal Secretary, General Administration Department — Member 3. Resident Commissioner, Government of Madhya Pradesh, New Delhi — Member 4. Additional Secretary/Deputy Secretary, Government of Madhya Pradesh, General Administration Department — Member	-	-
4.	Section Officer	Administrative Officer.	5 Years	-do-	-	-
5.	Assistant Protocol Officer.	Protocol Officer.	5 Years	-do-	-	-

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
R. K. GAJBHIYE, Dy. Secy.